NT>

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters under Rule 377, listed for the day are to be treated as laid on the Table of the House.

Title: Need to establish Rashtriya Gramin Banks for providing more benefit to the farmers- Laid.

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गांव किसान के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। ग्रामीण स्वराज व गांव को आर्थिक रूप से मजबूत करने के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इसी प्रयास के परिणाम हैं, ग्रामीण बैंक जो विभिन्न प्रदेशों व जिलों में अलग-अलग नामों से किसी न किसी राट्रीयकृत बैंक के प्रबंधकत्व में चलाये जा रहे हैं, जिसमें 50 प्रतिशत पूंजी भारत सरकार की, 15 प्रतिशत संबंधित प्रदेश सरकार की तथा 35 प्रतिशत संचालित करने वाली बैंक की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सम्पूर्ण भारत में लगभग 14,500 शाखाएं इन ग्रामीण बैंकों की भारत के सुदूर ग्रामीण अंचलों में कार्यरत हैं तथा भारत सरकार के सबसे बड़े बैंकिंग उपक्रम भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं 15000 हैं किंतु, सुदूर ग्रामीण अंचलों में किसानों की सेवा में रत इन बैंकों से किसानों को वे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जो एक बैंकिंग व्यवसाय के जन सुविधा के लिए आवश्यक है, जिसमें ड्राफ्टों का न बनाया जाना सुविधा भी शामिल है।

अतः मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि राट्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाए, जिसमें इन सभी 14,500 शाखाओं को समायोजित किया जाए और ग्रामीण तथा ग्रामीण बाजार स्तर तक और भी शाखाएं खोली जायें।

* Treated as Laid on the Table of the House.